न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफ0टी0सी0–प्रथम, देवरिया।

उपस्थितः–संजय कुमार सिंह–III (एच0जे0एस0)

जे0ओ0 कोड-UP 1722

प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1942/2022

मंजू देवी उम्र 55 वर्ष पत्नी स्व0 महेन्द्र सिंह,
साकिन–रैश्री, थाना–गौरीबाजार, जिला–देवरिया

————————**अभियुक्ता**

प्रति

उ0प्र0 सरकार————————————————————————**——प्रतिपक्षी**

मुकदमा अपराध संख्या–279/2022
धारा–498ए, 304बी भा0दं0सं0
व धारा–3/4 डी0पी0 एक्ट,
थाना–गौरीबाजार, जिला–देवरिया।

27–09–2022

1– आवेदिका/अभियुक्ता मंजू देवी की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–279/2022, धारा–498ए, 304बी भा0दं0सं0 व धारा–3/4 डी0पी0 एक्ट, थाना–गौरीबाजार, जिला–देवरिया के अन्तर्गत जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्ता प्रस्तुत प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है।

2– अभियोजन कथानक यह है कि वादिनी मुकदमा अनीता देवी द्वारा थानाध्यक्ष गौरीबाजार के समक्ष इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि उसने अपनी लड़की संजना की शादी अखिलेश के साथ दिनांक–31–01–2022 को किया था। अखिलेश व उसके घरवालो की मांग पर मु0–2,50,000/–रूपये नकद, सोने चांदी के जेवर, मोटरसाइकिल तथा अन्य घरेलू वस्तुए दिये थे। शादी के तीसरे दिन संजना विदा होकर अपने ससुराल गयी। संजना के विदा होकर जाने के बाद से ही अखिलेश पुत्र स्व0 महेन्द्र सिंह पति, सास मन्जू देवी, जेठ पंकज व देवर अनुराग उर्फ गोल्टू, ननद प्रिती ग्राम रैश्री, गौरीबाजार देवरिया संजना को कम दहेज लाने का ताना तथा दहेज में तीन लाख रूपये मांग कर लाने का दबाव बनाने लगे। संजना द्वारा मना करने पर उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते तथा कहते कि यदि तुम्हारे पिता ने दहेज नहीं दिया तो तुम्हें जान से मारकर अखिलेश की दूसरी शादी करेंगे। वादिनी के पति व

गांव तथा रिश्तेदार संजना के ससुराल जाकर उपरोक्त लोगों को समझाये परन्तु उक्त लोगों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उक्त लोग सदैव दहेज के लिए मारते पीटते थे। संजना ने उसे फोन पर बताया कि लगता है कि दहेज न पाने के कारण उसे जान से मार डालेंगे। दिनांक–26–05–2022 को वादिनी के पति ने फोन पर बताया कि संजना को उसके ससुराल के लोग मेडिकल कालेज गोरखपुर भर्ती किए हैं। वह तुरन्त ही संजना व अखिलेश तथा मंजू देवी पर फोन मिलाया लेकिन फोन नहीं उठा तब वादिनी अपनी छोटी लड़की अर्पिता के साथ मेडिकल कालेज गोरखपुर गयी। मेडिकल में संजना बेड पर थी उसे देखते ही रोने लगी उसने पूछा कि तुम्हे कौन मारा है तब वह हाथ के संकेत से उपरोक्त लोगों को बतायी तब उपरोक्त लोग वहां से भाग गए। उसके बाद उसकी लड़की संजना कोमा में चली गयी तथा एक महीने तक जीवन मौत से जूझने के बाद उपरोक्त लोगों द्वारा दहेज न पाने के कारण संजना के गले में रस्सी डालकर जान से मारने व गले की हड्डी टूट जाने व मारने पीटने के कारण दिनांक–28–06–2022 को मेडिकल कालेज में मृत्यु हो गयी। उक्त लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने की कृपा करें।

3– उपरोक्त प्रार्थनापत्र के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक–16–07–2022 को 19:29 बजे मुकदमा अपराध संख्या–279/2022 धारा–498ए, 304बी भा0दं0सं0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट में दर्ज किया गया। प्रकरण में विद्वान न्यायालय द्वारा आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लिया जा चुका है।

4– अभियुक्ता की ओर से बहस करते हुऐ उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय व किसी अन्य न्यायालय में न लम्बित है और न ही निरस्त हुआ है। आवेदिका/अभियुक्ता निर्दोष है कोई अपराध नहीं किया है। आवेदिका/अभियुक्ता घटना दिनांक–26–05–2022 को घर पर नहीं थी बल्कि दवा कराने गयी थी। अभियुक्ता के सिर में फोड़ा हो गया है उसी की दवा कराने चली गयी थी। उस फोड़े का आपरेशन होना है जब तक आपरेशन नहीं होगा तब तक वह अमन चैन से नहीं रह सकती है। घटना के पहले अप्रैल माह में रायबरेली में अभियुक्ता का श्री कृष्णा नर्सिंग होम में आपरेशन हुआ। अभियुक्ता हास्पिटल में दिनांक–03–03–2022 से 16–04–2022 तक हास्पिटल में एडमिट रही है। घटना दिनांक–26–05–2022 को कही जा रही है और दिनांक–28–06–2022 को मेडिकल कालेज गोरखपुर में मृत्यु हुआ है। लगभग एक महीना

से अधिक मृतका संजना की दवा चली है। संजना को कोई मारा पीटा नहीं है और न ही उसके गले में रस्सी लगाया है और न ही अभियुक्ता मंजू देवी मृतका संजना को मारी पीटी है और न ही गले में रस्सी लगायी है। वास्तविकता यह है कि दिनांक–26–05–2022 को मृतका संजना देवी अपने गले में साड़ी का फंदा लगाकर पंखे से झूल गयी जिसके कारण उसके गले में चोट आ गयी और दवा इलाज से सही नहीं हुआ तो दिनांक–22–06–2022 को गले का आपरेशन हुआ जिसके कारण खून की कमी पड़ गयी तब दिनांक–23–06–2022 को अखिलेश सिंह अपनी औरत संजना को ब्लड भी दिया। मृतका संजना देवी एक आत्महत्या का नोट लिखकर अपने विस्तर के नीचे रखी थी उसमें लिखा है कि मैं अपने मर्जी से आत्महत्या कर रही हूं। इसमें किसी का भी दोष नहीं है और अपना हस्ताक्षर संजना चौधरी किया है। संजना के बी0ए0–तृतीय ईयर का एडमिट कार्ड देखने से भी स्पष्ट है कि संजना चौधरी का हस्ताक्षर आत्महत्या पत्र पर सही है क्योंकि जो हस्ताक्षर आत्महत्या पत्र पर किया है वही हस्ताक्षर एडमिट कार्ड पर किया है। घटना दिनांक–26–05–2022 को 7 बजकर 29 मिनट पर लिखा गया है किन्तु घटना का समय नहीं लिखा गया है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। आवेदिका का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदिका विधवा महिला है जेल में रह कर मुकदमें की पैरवी नहीं कर सकती है। अभियुक्ता जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्ता जमानत देने को तैयार है। अतः उसे उचित जमानत पर रिहा किया जाये।

5– अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्ता द्वारा मृतका से दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था। कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

6– मैंने अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7– अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा मृतका संजना की शादी दिनांक–31–03–2022 को अभियुक्त अखिलेश के साथ हुई थी। शादी के पांच माह के भीतर दिनांक–26–05–2022 को पीड़िता संजना के गले में फांसी का फन्दा डालकर लटकाया जाना तथा जिससे चोटे आने पर उसका इलाज गोरखपुर में कराया जाना व दौरान इलाज दिनांक–28–06–2022 को पीड़ित की मृत्यु होना व मृत्यु पूर्व

पीड़िता को अभियुक्तगण द्वारा प्रताड़ित किया जाना कहा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के गले पर लिगेचर मार्क पाया गया है तथा मृत्यु उसी चोटों से आना बताया गया है।

8– आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से एक लाइनदार कागज पर मृतका का बिना दिनांक का लिखा हुआ सुसाइड नोट प्रस्तुत किया गया है जिसमें लिखा गया है कि ''मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रही हूँ। इसमें किसी का भी दोष नहीं है संजना चौधरी।'' उल्लेखनीय है कि उक्त सुसाइड नोट को विवेचना में अभियुक्तगण की ओर से क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया है। इसका कोई उल्लेख जमानत प्रार्थनापत्र में नहीं किया गया है। उक्त सुसाइड नोट पर कोई तिथि अंकित नहीं है। उल्लेखनीय है कि बचाव पक्ष की प्रतिरक्षा विधिनुसार जमानत के स्तर पर देखने की विधि नहीं है। मृतका की मृत्यु शादी के सात वर्ष के भीतर आयी चोटो से असामान्य परिस्थितियों में हुई है। आवेदिका/अभियुक्ता मृतका की सास है जो प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। आवेदिका/अभियुक्ता को मिथ्यारोपित किए जाने का कोई ठोस साक्ष्य विद्यमान नहीं है। अभियुक्ता द्वारा जो कथन किया गया है वह साक्ष्य व विचारण का विषय है।

9– अतः मामले के तथ्य परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति व गम्भीरता पर विचार करने के उपरान्त मामले के गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना मैं इस अभिमत का हूं कि अभियुक्ता का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

आवेदिका/अभियुक्ता मंजू देवी की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–279/2022, धारा–498ए, 304बी भा0दं0सं0 व धारा–3/4 डी0पी0 एक्ट, थाना–गौरीबाजार, जिला–देवरिया के अन्तर्गत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(संजय कुमार सिंह–III)
अपर सत्र न्यायाधीश,
एफ0टी0सी0–प्रथम, देवरिया।

Digitally signed by Sanjay Kumar Singh
Date: 2022.09.27 16:28:45 IST
Reason: Sanjay Kumar Singh-III
Location: Addl District and Sessions Judge Deoria